

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट न० 19/2016-17

चन्द्रशेखर दास।

बनाम

कुरसो नायक।

आदेश


यह वाद वादी द्वारा वाद संपत्ति जो खाता संख्या- 200, प्लॉट संख्या- 214, रकवा- 13.338 डिसमिल है जिस पर अपना हक दखल एवं स्वमित्व घोषित कराने हेतु दाखिल किया गया है। उनका दावा निबंधित विक्रय दलील संख्या 564/531, दिनांक 22.07.2014 तथा नामांतरण मुकदमा संख्या 116(एम)/2014-15 के आधार पर है। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल कर वादी के दावे का विरोध किया गया है। उनका कथन है कि प्लॉट संख्या- 214 का वही समान रकवा एवं स्थिति पर वादी द्वारा जमीन क्रय किया गया जो पहले से ही प्रतिवादी द्वारा क्रय किया जा चुका है। न्यायालय के आदेश से विवादित जमीन का स्थल पर सीमांकन अंचल अमीन से कराया गया तथा अंचल अधिकारी सदर के पत्रांक 673 दिनांक 03.10.2019 द्वारा मापी दोनों पक्षों की उपस्थिति में की गई तथा प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्लॉट संख्या- 213 एवं 214, रकवा- 21 डिसमिल पर दीवार बनाकर घेराबंदी कर दखलकार है। वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा पूर्व से क्रय की गई भूमि को ही क्रय कर ली गई अतः स्थल पर उनकी भूमि का अलग से चिन्हित करना संभव नहीं है।


उक्त मापी प्रतिवेदन के विरुद्ध वादी ने आपत्ति दाखिल किया और दुबरा मापी प्रतिवेदन मंगाने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को अस्वीकार कर उन्हें गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परंतु विगत कई तिथियों से वादी द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।

आज वादी द्वारा पैरवी की गई है परंतु पुकार पर वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी द्वारा हाजिरी दाखिल कर वे स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मापी प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट होने के कारण वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है अतः यह वाद अदम्य पैरवी में खारिज कर दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख में मौजूद मापी प्रतिवेदन तथा इस वाद में वादी द्वारा गवाह प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह वाद अदम्य पैरवी में खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


23.02.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


23.02.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा